ए.

मुन्नी देवी एलियास नाथी देवी (मृत) विधिक उत्तराधिकारी एस. और ओ. आर. एस.

वी.

राजेंद्र एलियास लल्लू लाल (मृत) थ्र विधिक उत्तराधिकारी एस. और ओ. आर. एस. (2019 की सिविल अपील संख्या 5894)

18 मई, 2022

[अजय रस्तोगी और बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.** जे**.]**

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956:धारा 14-एक महिला हिंदू की संपत्ति उसकी पूर्ण संपत्ति-हिंदू विधवा-हिंदू अविभाजित संपत्ति का अधिकार-आयोजितःहिंदू महिला का भरण-पोषण का अधिकार उस संपत्ति के खिलाफ एक ठोस अधिकार है जो पति और पत्नी के बीच आध्यात्मिक संबंध से बहती है-जहां एक हिंदू विधवा को एच. यू. एफ. संपत्ति के अनन्य स्थापित कानूनी कब्जे में पाया जाता है, तो यह स्वयं एक धारणा पैदा करेगा कि ऐसी संपत्ति को उसके रखरखाव के पहले से मौजूद अधिकार की प्राप्ति के लिए निर्धारित किया गया था, विशेष रूप से जब जीवित सह-भागीदार ने उसके रखरखाव के पहले से मौजूद अधिकार को मान्यता देने के लिए कोई वैकल्पिक संपत्ति निर्धारित नहीं की थी-शब्द "कब्जे में" और "अधिग्रहित" का उपयोग एस में किया जाता है।14(1) वे सबसे व्यापक आयाम के हैं और इसमें संपत्ति के मालिक होने की स्थिति शामिल है-यह एस के आधार पर है।14(1), कि हिंदू विधवा का सीमित हित स्वचालित रूप से एक पूर्ण अधिकार में विस्तारित हो जाता है, जब ऐसी संपत्ति उसके पास होती है, चाहे वह उसके भरण-पोषण के अधिकार के बदले 1956 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में अर्जित की गई हो-तथ्यों पर, प्रतिवादी नं।1-हिंदू विधवा अपने चाचा की मृत्यु से पहले मुकदमे की संपत्ति में रह रही थी, और उसकी मृत्यु के बाद उक्त संपत्ति के कब्जे में और प्रभारी थी, और 1956 से पहले घर कर का भुगतान कर रही थी और 1956 से पहले और बाद में मुकदमे की संपत्ति में किरायेदारों से किराया वसूल कर रही थी-अपने पति की एचयूएफ की संपत्ति से रखरखाव के लिए उसके पहले से मौजूद अधिकार को देखते हुए और 1956 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले और बाद में मुकदमे की संपत्ति पर उसके अनन्य व्यवस्थित कब्जे को देखते हुए, प्रतिवादी नं।1 उसने रखरखाव के अपने पहले से मौजूद अधिकार के बदले में सूट संपत्ति का अधिग्रहण किया था, और यह कि

उसने सूट संपत्ति को पूर्ण मालिक के रूप में रखा था, न कि एस के आधार पर सीमित मालिक के रूप में।14(1) – इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 को वाद संपत्ति में रखरखाव का पहले से अधिकार था जो एस के आधार पर पूर्ण स्वामित्व में परिपक्व हो गया था।14(1) अधिनियम से।

जी.

एच.

876 ए.

877

मुनि देवी एलियास नाथी देवी (मृत) टीएचआर LRS.v।राजेंद्र एलियास लल्लू लाल (मृत) थर्स विधिक उत्तराधिकारी एस.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना:**1.1** हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम**, 1956** की धारा **14 (1)** के साथ-साथ उसके स्पष्टीकरण से यह पता चलता है कि धारा **14 (1)** के आधार पर किसी संपत्ति की पूर्ण स्वामी बनने के लिए**,** एक महिला हिंदू**, 1956** के अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में**,** संपत्ति की कब्जे में होनी चाहिए**,** और यह उसके द्वारा विरासत या योजना**,** या एक विभाजन पर**,** या रखरखाव**,** या रखरखाव के बकाया के बदले में**,** या किसी भी व्यक्ति से उपहार द्वारा**,** चाहे वह रिश्तेदार हो या न हो**,** उसके विवाह से पहले**,** उस समय या उसके बाद**,** या उसके अपने कौशल या परिश्रम से या खरीद या पर्चे द्वारा**,** या किसी अन्य तरीके से**,** या ऐसी किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। **[**पारस **10-11] [889-**एच**; 890-**ए**-**बी**]** तत्काल मामले में**,** चिंता प्रतिवादी नं**.1** मुकदमे की संपत्ति के संबंध में इस आधार पर पूर्ण स्वामी बनने के लिए कि वह अधिनियम के प्रारंभ से पहले और उसके बाद मुकदमे की संपत्ति के कानूनी कब्जे में थी**,** अपने रखरखाव के पहले से मौजूद अधिकार के बदले में**,** और ऐसा सीमित स्वामित्व अधिकार धारा **14 (1)** के आधार पर पूर्ण स्वामित्व में फलीभूत हो गया था।हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम**, 1937** ने हिंदू विधवा को अपने पति की संपत्ति का अधिकार प्रदान किया**,** जिसकी मृत्यु **1937** के उक्त अधिनियम के प्रारंभ के बाद हुई थी**,** न कि उससे पहले।प्रतिवादी नं**.1'1936** में पति की मृत्यु होने पर **1937** का उक्त अधिनियम मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।हालाँकि**,**

1937 के उक्त अधिनियम से पहले, हिंदू विधवा के भरण-पोषण के अधिकार को शास्त्री कानून में मान्यता दी गई थी।**[**पैरा **12] [890-**सी-एफ**]**

1.3 जहाँ एक हिंदू विधवा के पास अपने पति या पति के एच. यू. एफ. की संपत्ति है, उसे उक्त संपत्ति से बाहर रखे जाने का अधिकार है।वह अपने रखरखाव के अधिकार के बदले उस संपत्ति का कब्जा बनाए रखने की हकदार है।धारा **14 (1)** और उसके स्पष्टीकरण में महिलाओं के पक्ष में उदार निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य उक्त विधान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाना और बढ़ावा देना है। धारा **14 (1)** में उपयोग किए गए "कब्जे में" शब्द सबसे व्यापक संभव आयाम के हैं और इसमें राज्य शामिल है।

जी.

एच.

878 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 3 एस. सी. आर.

ए.

किसी संपत्ति का स्वामी होना, भले ही हिंदू महिला के पास उसका वास्तविक या भौतिक अधिकार न हो।निस्सन्देह, यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि विधवा का अधिकार, किसी दावे, अधिकार या शीर्षक के कुछ अवशेष के तहत होना चाहिए, क्योंकि यह धारा किसी भी अधिकार या शीर्षक के बिना किसी भी रैंक के अतिचारक के कब्जे पर विचार नहीं करती है।**[**पैरा **14] [895-**बी-डी**]**

1.4 तत्काल मामले में, प्रतिवादी का पति नं।**1 1936** में समाप्त हो गया, जी. एन., प्रतिवादी नं.**1 1938** में उनकी मृत्यु हो गई और जी. एन. के भाई एच. आर. की मृत्यु **1953** में हुई।वादी को एस. बी. द्वारा वर्ष **1916** में अपनाया गया था।एच. आर., जी. एन. और एस. बी. के सामान्य पूर्वज जी. पी. थे। यह भी विवादित नहीं है कि सूट संपत्ति एचआर और जीएन के हाथों में एक पैतृक संपत्ति थी। यह भी विवादित नहीं है कि प्रतिवादी नं।**1** एच. आर. की मृत्यु से पहले सूट संपत्ति में रह रही थी, और उसकी मृत्यु के बाद वह उक्त संपत्ति के कब्जे में और प्रभारी थी, और सूट संपत्ति के हिस्से पर कब्जा करने वाले

किरायेदारों से किराया एकत्र करके अपना रखरखाव कर रही थी।**[**पैरा **15] [895-**डी-एफ**]**

1.5 यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि प्रतिवादी नं।**1 1956** से पहले मकान कर का भुगतान कर रहा था और **1956** से पहले और बाद में किरायेदारों से किराया वसूल कर रहा था।दस्तावेज़ प्रदर्शनी**-54** से यह पता चलता है कि **1940** में प्रतिवादी नं।**1,** जब वह अपने ससुराल वालों के साथ रह रही थी**,** तब उसके पास भरण**-**पोषण का कोई स्रोत नहीं था**,** और इसलिए उसे रु। सरकार के पुण्य विभाग द्वारा रखरखाव के माध्यम से **2.5** प्रति माह।उसने एक पारदानशीन महिला होने का दावा करते हुए वादी को रखरखाव की उक्त राशि एकत्र करने के लिए अधिकृत किया था।उक्त दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रतिवादी नं।**1 1940** से सूट हाउस में रह रहा था।यह अच्छी तरह से साबित था कि प्रतिवादी नं।**1 1953** में एच**.** आर**.** की मृत्यु से पहले और बाद में सूट हाउस के कब्जे में था और उसके बाद भी कब्जे में रहा और **1955** से वादी द्वारा **1965** में मुकदमा दायर करने की तारीख तक मुकदमे के परिसर के हिस्से पर कब्जा करने वाले किरायेदारों से किराया वसूल कर रहा था।**[**पैरा **17] [896-**सी**-**ई**]**

जी.

1.6 यह स्पष्ट रूप से साबित किया गया है कि प्रतिवादी नं।**1 1956** के अधिनियम के प्रारंभ से पहले**,** जिसने उसे ए बनने का अधिकार दिया था**,** उसने मुकदमे की संपत्ति पर लंबे समय से कब्जा कर लिया था**,** जिसे उसने रखरखाव के अपने पहले से मौजूद अधिकार के बदले में अर्जित किया था।

एच.

879

मुनि देवी एलियास नाथी देवी (मृत) टीएचआर LRS.v।राजेन्द्र एलियास लल्लू लाल (मृत) थर्स विधिक उत्तराधिकारी एस.

उक्त अधिनियम की धारा **14 (1)** के आधार पर वाद संपत्ति का पूर्ण स्वामी। **1953** में एच**.** आर**.** की मृत्यु के बाद**,** अर्थात **1956** में उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले**,** मुक़दमे की संपत्ति पर उनका अनन्य कब्जा न केवल विवादित था**,** बल्कि वादी द्वारा स्वयं शिकायत में स्वीकार किया गया था।अपने पति की एच**.** यू**.** एफ**.** की संपत्ति से रखरखाव का उनका पहले से मौजूद अधिकार भी अच्छी तरह से साबित था।रखरखाव का उसका पहले से

मौजूद अधिकार, संपत्ति के उसके व्यवस्थित कानूनी कब्जे के साथ, यह धारणा बनाने के लिए पर्याप्त होगा कि संपत्ति में उसका अधिकार या दावा निहित था, हालांकि कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया था या संपत्ति में रखरखाव के उसके अधिकार को मान्यता देते हुए उसके पक्ष में विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया था।**[**पैरा **18] [896-**ई-एच**; 897-**ए-बी**]**

1.7 वादी के पक्ष में एच**.** आर**.** द्वारा निष्पादित वसीयत में वाद संपत्ति का कोई उल्लेख नहीं था।वसीयत में जो कहा गया था वह यह था कि जो भी चल और अचल संपत्ति एचआर की होगी, उसे वादी को हस्तांतरित किया जाएगा।यह केवल उक्त वसीयत के संबंध में वादी द्वारा दायर परिवीक्षाधीन कार्यवाही में था, उसने अनुसूची में मुकदमे की संपत्ति दिखाई थी। यह सच है कि प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ नं।**1** वादी के पक्ष में प्रोबेट देने के खिलाफ प्रोबेट कोर्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, और एचआर द्वारा प्रतिवादी नं।**1** उक्त कार्यवाही में भी उनके द्वारा साबित नहीं किया गया था।फिर भी, अपने पति की एच**.** यू**.** एफ**.** की संपत्ति से भरण-पोषण के उसके पहले से मौजूद अधिकार को देखते हुए और **1956** के अधिनियम के प्रारंभ से पहले और बाद में वाद संपत्ति के उसके अनन्य निपटान कब्जे को देखते हुए, एकमात्र निष्कर्ष जो निकाला जा सकता था, वह यह होगा कि प्रतिवादी नं**.1** उसने रखरखाव के अपने पहले से मौजूद अधिकार के बदले में सूट संपत्ति का अधिग्रहण किया था, और यह कि उसने **1956** के उक्त अधिनियम की धारा **14 (1)** के आधार पर सूट संपत्ति को पूर्ण मालिक के रूप में रखा था, न कि सीमित मालिक के रूप में। **[**पैरा **19] [897-**बी-ई**]**

1.8 एक हिंदू महिला का भरण-पोषण का अधिकार एक खाली औपचारिकता या एक भ्रामक दावा नहीं था और न ही है जिसे अनुग्रह और उदारता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।हिंदू महिला का भरण-पोषण का अधिकार उस संपत्ति के खिलाफ एक ठोस अधिकार है जो पति और पत्नी के बीच आध्यात्मिक संबंध से बहती है।इस तरह के अधिकार को शास्त्री हिंदू के तहत मान्यता दी गई और आदेश दिया गया

विधि**, 1937** और **1946** के अधिनियमों के पारित होने से बहुत पहले।उन अधिनियमों ने केवल उस स्थिति को मान्यता देते हुए वैधानिक समर्थन दिया जो शास्त्री हिंदू कानून के तहत मौजूद थी। जहां एक हिंदू विधवा को एच**.** यू**.** एफ**.** संपत्ति के अनन्य स्थापित कानूनी कब्जे में पाया जाता है**,** तो यह स्वयं एक धारणा पैदा करेगा कि ऐसी संपत्ति उसके रखरखाव के पहले से मौजूद अधिकार की प्राप्ति के लिए निर्धारित की गई थी**,** विशेष रूप से जब जीवित सह**-**भागीदार ने रखरखाव के अपने पहले से मौजूद अधिकार को मान्यता देने के लिए कोई वैकल्पिक संपत्ति निर्धारित नहीं की थी।धारा **14 (1)** में प्रयुक्त "कब्जे में" और "अर्जित" शब्द व्यापक आयाम के हैं और इसमें संपत्ति के मालिक होने की स्थिति शामिल है।यह **1956** के अधिनियम की धारा **14 (1)** के आधार पर है कि हिंदू विधवा का सीमित हित स्वचालित रूप से एक पूर्ण अधिकार में विस्तारित हो जाता है**,** जब ऐसी संपत्ति उसके पास होती है**,** चाहे वह **1956** के अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में उसके भरण**-**पोषण के अधिकार के बदले में अर्जित की गई हो।उच्च न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी नं।**1 1956** के अधिनियम की धारा **14 (1)** के आधार पर पूर्ण स्वामित्व में पकने वाली वाद संपत्ति में रखरखाव का पहले से अधिकार था।**[**पैरा **20,21] [897-**ई**-**एच**; 898-**ए**]**

वी. तुलासम्मा और ओआरएस बनामशेषा रेड्डी (मृत) विधिक उत्तराधिकारी एस.

(1977) 3 एससीसी **99:[1977] 3** एस**.** सी**.** आर**. 261-**पर निर्भर।

राम विशाल (मृत) और ओआरएस. विधिक उत्तराधिकारी एस. बनाम।जगन नाथ और अन्र। (2004) 9 एस. सी. सी. 303; डिंडियाल और एन. आर. वी.राजाराम (1970)

1 एससीसी 786:[1971] 1 एससीआर 298; साधु सिंह बनाम गुरुद्वारा साहिब नरीके (2006) 8 एससीसी 75:[2006] 5

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 799;** श्रीमती रानी बाई बनाम श्री यदुनंदन

राम और अन्र। (1969) 1 एससीसी 604:[1969] 3 एससीआर 789;

एमएस. गौमती बनाम शंकर लाल ए. आई. आर 1974 राज। 147; मूल

कंवर बनाम जीवन लाल एयर 1982 राज। 267; बाई वाजिया

(मृत) विधिक उत्तराधिकारी एस. वी.ठाकुरभाई चेलाभाई और अन्य

(1979) 3 एससीसी 300:[1979] 3 एस. सी. आर. 291; रघुबर सिंह

& ओआरएस बनाम गुलाब सिंह और ओआरएस। **(1998) 6** एससीसी **314:[1998]**

3 एस**.** सी**.** आर**. 555-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

जी.

(2004) 9 एस**.** सी**.** सी**. 303**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6 (i)**

[1971] 1 एससीआर **298**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6 (vi)**

एच.

881

मुनि देवी एलियास नाथी देवी (मृत) टीएचआर LRS.v।राजेंद्र एल. एल. ए. एस. लल्लू लाल (मृत) विधिक उत्तराधिकारी एस.

ए.

[2006] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 799** पैरा **6 (vii) [1969] 3** एस**.** सी**.** आर**. 789** पैरा **7 [1979] 3** एस**.** सी**.** आर**. 291** पैरा **7 (iv) [1977] 3** एस**.** सी**.** आर**. 261** को संदर्भित करता है।

पैरा **12,14 [1998] 3** एस**.** सी**.** आर**. 555** पैरा **13** में निर्दिष्ट है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2019 की सिविल अपील संख्या 5894।

1989 के एस. बी. सिविल प्रथम अपील सं. 120 में जयपुर पीठ, जयपुर में राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

पुनीत जैन, श्रीमती क्रिस्टी जैन, हर्ष जैन, सुश्री याशिका शर्मा, उमंग मेहता, सुश्री श्रुति सिंह, योगित कामत, मान अरोड़ा, सुश्री प्रतिभा जैन, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

पल्लव शिशोदिया, ऋषभ संचेती, सुश्री पद्म प्रिया, अंचित भंडारी, सूर्य जैन, सुश्री सलोनी भंडारी, के. परी वेंधन, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी

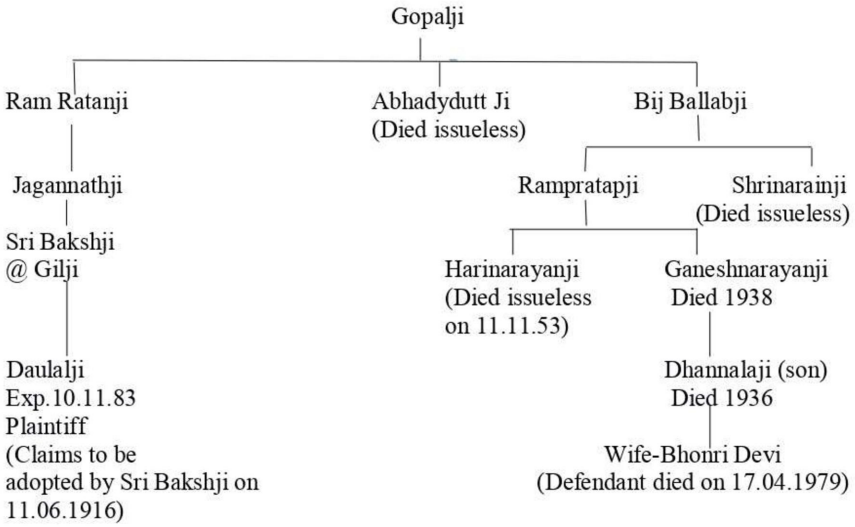
1. वर्तमान अपील, सी. पी. सी. के आदेश 41 के साथ पठित धारा 96 के तहत अपीलार्थीगण द्वारा दायर 1989 की एस. बी. सिविल प्रथम अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की पीठ द्वारा पारित आदेश और डिक्री के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें उच्च न्यायालय ने उक्त प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, वर्ग-1, जयपुर (जिसे इसके बाद "ट्रायल कोर्ट" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा सिविल सूट <आई. डी. 3 में पारित निर्णय और डिक्री को खारिज कर दिया है, और प्रतिवादी नं. 1 भोनरी देवी, वर्तमान प्रत्यर्थी Nos.1 से 3 और अन्य के पूर्ववर्ती।

जी.

2. मामले में शामिल विवाद की सराहना करने के लिए, पक्षों के परिवारों की वंशावली तालिका/वंशावली को पुनः प्रस्तुत करना फायदेमंद होगा।

एच.

ए.



3. मूल वादी दौलजी ने मूल प्रतिवादी-श्रीमती के खिलाफ अपने लाभ के साथ मुकदमे की संपत्ति पर कब्जा करने की मांग करते हुए 1973 का मुकदमा दायर किया। स्वर्गीय श्री धनलालजी की विधवा भोनरी देवी और अन्य प्रतिवादी संख्या 2 से 12 के खिलाफ, जो मुकदमे की संपत्ति में किरायेदार थे।सूट संपत्ति घर की संपत्ति है जिस पर No.1875, चोकडी तोपखाना देश, जयपुर है जो हरिनारायणजी और उनके भाई गणेशनारायणजी के हाथों में एक पैतृक संपत्ति थी।वादी-दौलजी के मामले के अनुसार, उन्हें श्री बक्शजी द्वारा गोद लिया गया था, जो 11.06.1916 पर उनके सामान्य पूर्वज गोपालजी के परपोते थे। प्रतिवादी नंबर 1 भोनरी देवी के पति, यानी धनलालजी की मृत्यु उनके पिता गणेशनारायणजी से पहले 1936 में हुई थी।गणेशनारायणजी की मृत्यु 1938 में हुई और उनके भाई हरिनारायणजी की मृत्यु 11.11.1953 पर हुई।वादी दौलल्जी के आगे के मामले के अनुसार, हरिनारायणजी ने अपने पक्ष में 30.07.1949 पर एक वसीयत निष्पादित की थी, और उनकी मृत्यु के बाद, 11.11.1953 पर, वह उक्त वसीयत के आधार पर हरिनारायणजी की अन्य संपत्तियों के साथ सूट संपत्ति का मालिक बन गया था। हरिनारायणजी की मृत्यु के बाद, प्रतिवादी संख्या 1-भोनरी देवी ने वादी को परेशान करना शुरू कर दिया और इसलिए वादी ने मुकदमे की संपत्ति को 25.12.1953 पर छोड़ दिया, और तब से प्रतिवादी संख्या 1 मुकदमे की संपत्ति के कब्जे में था।प्रतिवादी Nos.2 से 12 मुक़दमे की संपत्ति के हिस्से में किरायेदार थे।वादी दौलल्जी ने दावा किया कि हरिनारायणजी की मृत्यु के बाद, वह परिवार में एकमात्र पुरुष सदस्य होने के साथ-साथ हरिनारायणजी की वसीयत के तहत उत्तराधिकारी होने के नाते, मुक़दमे की संपत्ति का एकमात्र मालिक बन गया था और ए

जी.

एच.

883

मुनि देवी एलियास नाथी देवी (मृत) टीएचआर LRS.v।राजेंद्र एल. एल. ए. एस. लल्लू लाल (मृत) विधिक उत्तराधिकारी एस. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1 भोनरी देवी से वाद संपत्ति का कब्जा वसूल करने का हकदार था, जिसका वाद संपत्ति में कोई कानूनी अधिकार या हित नहीं था।

4. प्रतिवादी संख्या 1 भोनरी देवी ने लिखित बयान दायर करके वाद का विरोध किया, जिसमें वाद में किए गए कथनों और आरोपों का खंडन किया गया।उसने इस बात से भी

इनकार किया कि हरिनारायणजी द्वारा वादी दौलल्जी के पक्ष में किसी भी वसीयत को निष्पादित किया गया था और आगे तर्क दिया कि हरिनारायणजी ने उसकी देखभाल करने के लिए, उसके पति और ससुर की मृत्यु के बाद, उसके साथ सूट संपत्ति में रहना शुरू कर दिया था, हालाँकि, वादी कभी भी सूट संपत्ति में नहीं रहा।यह आगे तर्क दिया गया कि प्रतिवादी Nos.2 से 12 उसे किराया दे रहे थे, वह धनलालजी की पत्नी और गणेशनारायणजी की बहू थी, और इस प्रकार, एक मालिक के रूप में सूट संपत्ति के कब्जे में थी और सूट संपत्ति से प्राप्त आय से खुद को बनाए रख रही थी।यह भी तर्क दिया गया कि मुक़दमे की संपत्ति में उसके पक्ष में निहित सीमित अधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 (1) के आधार पर पूर्ण स्वामित्व में बढ़ गया था, जो 17.06.1956 पर लागू हुआ था।इसलिए, उसने तर्क दिया कि वादी के कहने पर मुकदमा विचारणीय नहीं था और खारिज होने योग्य था।प्रतिवादी 8 और 10 से 12 ने भी अपने-अपने लिखित बयान दायर किए थे, जिसमें तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 भोनरी देवी मुकदमे की संपत्ति की मालिक थी, और वे उसके किरायेदार थे और केवल उसे किराया दे रहे थे।

5. यह ध्यान दिया जा सकता है कि मूल वादी दौलजी की मृत्यु 10.11.1983 पर हुई और मूल प्रतिवादी संख्या 1 भोनरी देवी की मृत्यु 17.04.1979 पर हुई, मुकदमा लंबित है। इसके बाद, मूल वादी-दौलजी की बेटी मुनिदेवी और कानूनी प्रतिनिधियों यानी प्रतिवादी नंबर 1 भोनरी देवी के भतीजों और भतीजी द्वारा मुकदमा चलाया गया, जिन्हें मुकदमे के लंबित रहने तक उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।मुकदमा अदालत द्वारा 05.08.1989 पर फैसला सुनाया गया था, जिसके खिलाफ पहली अपील संख्या 120/1989 को प्रतिवादी संख्या के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा पसंद किया गया था। 1 भोनरी देवी।अपील लंबित रहते हुए, मूल वादी दौलजी की बेटी मुन्नीदेवी की भी मृत्यु हो गई, और उनके स्थान पर उनके कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित किया गया।20 जुलाई, 2017 के विवादित आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा उक्त पहली अपील की अनुमति दिए जाने के बाद, वर्तमान अपील प्रत्यर्थी एन. ओ. एस. के खिलाफ उक्त मुन्नीदेवी (जिसे इसके बाद "अपीलकर्ता" के रूप में संदर्भित किया गया है) के उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दायर की गई है। 1 से 4 (प्रतिद्वंद्वी उत्तरदाता) और प्रत्यर्थी एन. ओ. एस. 5 और 6 (प्रोफार्मा उत्तरदाता)।

जी.

एच.

प्रस्तुतियाँः

6. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले पर हमला करते हुए अपीलार्थीगण की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन ने निम्नलिखित कई दलीलें दींः

(i) उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की थी कि 1938 में श्री गणेशनारायणजी की मृत्यु के बाद, वाद संपत्ति में भोनरी देवी के पक्ष में एक सीमित अधिकार बनाया गया था और उक्त भोनरी देवी को पुराने शास्त्री कानून के तहत भी भरण-पोषण का अधिकार था, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 (1) के तहत पूर्ण अधिकार में परिणत हो गया था।श्री जैन के अनुसार, हिंदू महिला संपत्ति का अधिकार अधिनियम, 1937 वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई लागू नहीं था, क्योंकि मुकदमा संपत्ति पूर्ववर्ती जयपुर राज्य में स्थित थी, जहां उक्त अधिनियम लागू नहीं था। जयपुर राज्य में, हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1947 लागू था, जो 24.09.1947 पर लागू हुआ था, हालांकि, श्री धनलाल की 1936 में मृत्यु हो गई थी और गणेशनारायणजी की 1938 में मृत्यु हो गई थी, यानी 1947 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले, 1947 के अधिनियम के तहत उक्त भोनरी देवी के पक्ष में कोई सीमित अधिकार नहीं बनाया गया था।1937 के अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत भी, संयुक्त परिवार की संपत्ति में अधिकार केवल मृतक की विधवा के पक्ष में बनाया गया था, न कि पूर्व-मृत बेटे की बहू के पक्ष में।इस संबंध में, उन्होंने राम विशाल (मृत) के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया है और

((ii) पुरानी शास्त्री कानून के तहत केवल संपत्ति पर कब्जा या रखरखाव का अधिकार प्रतिवादी नं. 1 भोनरी देवी 1956 के उक्त अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत।इस संबंध में, श्री जैन अदालत को पक्षों की दलीलों के पास ले गए और प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी सं. द्वारा कोई विशिष्ट याचिका नहीं उठाई गई थी। 1 इस संबंध में और यह केवल लिखित बयान में उठाए गए वैकल्पिक विवाद के माध्यम से था, प्रतिवादी नं।1 उसने 1956 के उक्त अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत उसके पूर्ण मालिक बनने की याचिका का पता लगाने की मांग की थी।

जी.

1 (2004) 9 एस. सी. सी. 303 ए

एच.

885

मुनि देवी एलियास नाथी देवी (मृत) टीएचआर LRS.v।राजेन्द्र एलियास लल्लू लाल (मृत) थर्स विधिक उत्तराधिकारी एस. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

((iii) प्रतिवादी सं. के पक्ष में कोई सीमित स्वामित्व नहीं बनाया गया था।1 भोनरी देवी विशेष रूप से वाद संपत्ति में और यह कि सीमित स्वामित्व की कोई धारणा नहीं की जा सकती है जैसा कि उनके द्वारा दावा किया जा सकता है।अनुमान अनिवार्य रूप से उत्तराधिकार के किसी वैधानिक या प्रथागत कानून से या साधन या डिक्री या उपकरण द्वारा प्रवाहित होना चाहिए जैसा कि अधिनियम की धारा 14 (1) के स्पष्टीकरण II में विचार किया गया है।

((iv) वाद संपत्ति का कब्जा कभी भी प्रतिवादी नं. 1-भोनरी देवी अपने रखरखाव के अधिकार के बदले में स्वामित्व के अधिकार की प्रकृति में सूट संपत्ति में सीमित स्वामित्व का निर्माण करती है।संपत्ति में अधिकार के किसी भी अवशेष के बिना केवल कब्जा धारा 14 (1) को आकर्षित नहीं करेगा।धारा 14 (1) को लागू करने के लिए पहले से मौजूद "सीमित स्वामित्व" का अस्तित्व एक अनिवार्य शर्त है, क्योंकि यह केवल सीमित स्वामित्व है जो उक्त प्रावधान के तहत एक पूर्ण स्वामित्व में फलता-फूलता है।जहां ऐसा कोई "सीमित स्वामित्व" मौजूद नहीं दिखाया गया है, धारा 14 (1) का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

(v) भरण-पोषण का अधिकार "किसी विशिष्ट संपत्ति में अधिकार" नहीं है, बल्कि यह "आम तौर पर संयुक्त परिवार की संपत्तियों के खिलाफ अधिकार" है।"

(vi) स्वामित्व के अधिग्रहण के बिना केवल भरण-पोषण का अधिकार भी धारा 14 को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।निर्भरता स्थापित करना

डिंडियाल और अन्न बनाम के मामले में निर्णय पर।राजाराम **2,**

उन्होंने प्रस्तुत किया कि 1956 के अधिनियम की धारा 14 (1) में प्रावधान के अनुसार, किसी भी संपत्ति को हिंदू महिला के स्वामित्व में कहा जा सकता है, इससे पहले यह साबित

किया जाना चाहिए कि महिला को विचाराधीन संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार था और यह कि वह वास्तव में या रचनात्मक रूप से ऐसी संपत्ति के कब्जे में रही होगी।

(vii) रखरखाव का अधिकार रखने वाली हिंदू महिला वास्तव में संपत्ति पर कोई शुल्क नहीं लगाएगी।रखरखाव का अधिकार एक कानूनी आरोप के बराबर हो सकता है यदि ऐसा आरोप या तो पक्षों के बीच एक समझौते द्वारा या एक डिक्री द्वारा बनाया जाता है।इस संबंध में, श्री जैन ने भरोसा किया है कि

(viii) वैकल्पिक में, श्री जैन ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नं।1- भरण-पोषण के अधिकार के आधार पर भोनरी देवी के दावों को केवल वाद संपत्ति में श्री गणेशनारायणजी के हिस्से के रूप में उठाया जा सकता था, जो वाद संपत्ति का 1/4 वां हिस्सा था, और संपत्ति में शेष 3/4 वां हिस्सा दौलजी और उनके उत्तराधिकारियों के वैध अधिकार का था, जो दौलजी को गोद लेने और हरिनारायणजी द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित वसीयत के परिणामस्वरूप था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उक्त वसीयत के संबंध में परिवीक्षा वादी दौलजी को दी गई थी और प्रतिद्वंद्वी का दावा प्रतिवादी नं। 1 भोनरी देवी को प्रोबेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

(ix) अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि वाद संपत्ति अपीलार्थीगण की पैतृक संपत्ति होने के कारण, इसे उनके परिवार के भीतर रखा जाना चाहिए था और वर्तमान प्रत्यर्थीगण जो मृतक भोनरी देवी के भतीजे और भतीजी हैं, वाद संपत्ति में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे।

7. विवादित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का समर्थन करते हुए, प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पल्लव शिशोदिया ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

(i) एच. यू. एफ. संपत्ति की विधवा का अनन्य अधिकार स्वयं एक धारणा पैदा करेगा कि ऐसी संपत्ति उसके रखरखाव के पहले से मौजूद अधिकार की प्राप्ति के लिए निर्धारित की गई थी, विशेष रूप से जब जीवित सह-भागीदार ने उसके पहले से मौजूद रखरखाव के अधिकार को मान्यता देने के लिए कोई वैकल्पिक संपत्ति निर्धारित नहीं की थी।इस संबंध में श्री शीशोदिया ने श्रीमती के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है।

रानी बाई बनाम श्री यदुनंदन राम और अन्र **4** और

एमएसटी के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय।

जी.

गौतमी बनाम शंकर लाल **5** और मूल कंवर बनाम जीव लाल **6**।

3 (2006) 8 SCC 75 4 1969 (1) SCC 604 5 AIR 1974 Raj.147 6 AIR 1982 Raj.267 A

एच.

887

मुनि देवी एलियास नाथी देवी (मृत) टीएचआर LRS.v।राजेंद्र एल. एल. ए. एस. लल्लू लाल (मृत) विधिक उत्तराधिकारी एस. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

(ii) हरिनारायणजी की मृत्यु के बाद प्रतिवादी भोनरी देवी के अनन्य अधिकार पर वादी दौलजी द्वारा कभी सवाल नहीं उठाया गया था।मुक़दमे की संपत्ति हरिनारायणजी और गणेशनारायणजी द्वारा धारण की गई कुल एच. यू. एफ. संपत्तियों का केवल एक चौथाई हिस्सा थी, जो पुरानी बस्ती में बहुत बड़े घर, चांदपोल में दो दुकानों और मूल वादी-दौलतजी द्वारा छीन ली गई अन्य संपत्तियों की तुलना में उनके निर्वाह के लिए पर्याप्त नाममात्र का किराया देती थी।

(iii) 1956 के अधिनियम की धारा 14 (1) की व्याख्या के संबंध में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक विधवा के पक्ष में भरण-पोषण का पहले से मौजूद अधिकार बिना किसी पुष्टि के

उसके पूरे जीवन में केवल एक उच्च अधिकार बना रहता, और जीवित सह-पार्सनरों की दया पर बंधा रहता, अगर वादी का मामला स्वीकार किया जाता कि उक्त भोंरी देवी ने वादी-दौलतजी की अनुग्रह और रियायत के माध्यम से ही वाद संपत्ति का आनंद लिया था।अन्यथा, अधिनियम की धारा 14 (1) का उद्देश्य, जिसे हिंदू विधवा को उसके रखरखाव के पूर्व-मौजूदा अधिकार के बदले में एच. यू. एफ. संपत्ति के स्थायी कब्जे में पूर्ण स्वामित्व प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, विफल हो जाएगा।श्री शीशोदिया ने इस न्यायालय द्वारा की गई विभिन्न टिप्पणियों और दर्ज किए गए निष्कर्षों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

वी. तुलासम्मा और ओआरएस का मामला बनामशेषा रेड्डी (मृत)

एलआरएस 7 द्वारा।उनके अनुसार, एक बार पहले से मौजूद अधिकार को मान्यता दिए जाने के बाद, एक हिंदू विधवा को धारा 14 (1) के परिणामों से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(iv) धारा 14 (1) में निहित "अधिकार" अभिव्यक्ति को वास्तविक और साथ ही रचनात्मक अधिकार को शामिल करने के लिए यथासंभव व्यापक अर्थ दिया जाना आवश्यक है, जैसे कि वर्तमान मामले में किरायेदारों का प्रत्यर्पण।इसी तरह, "अधिग्रहण" अभिव्यक्ति को भी अधिकार द्वारा अधिग्रहण को शामिल करने के लिए एक व्यापक संभव अर्थ दिया जाना आवश्यक है, विशेष रूप से जब विधवा का ऐसा अधिकार पहले से ही उसके भरण-पोषण के पहले से मौजूद अधिकार को संतुष्ट करता है।श्री शीशोदिया ने अपनी दलील को विस्तार से प्रस्तुत करने के लिए इस निर्णय पर भरोसा किया है।

जी.

बाई वाजिया (मृत) के मामले में विधिक उत्तराधिकारी एस. द्वारा न्यायालय। बनाम ठाकुरभाई चेलभाई और अन्य 8.

7 (1977) 3 एससीसी 99 8 (1979) 3 एससीसी 300

एच.

888

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 3 एस सी आर।

(v) 1953 में हरिनारायणजी की मृत्यु तक, उन्होंने कर्ता के रूप में एचयूएफ संपत्तियों को संभाला और सीधे लाइन में अंतिम जीवित सह-भागीदार थे।हालाँकि, हरिनारायणजी और उनके उत्तराधिकारी के सभी अधिकार, अधिकार और हित भोंरी देवी के पक्ष में भरण-पोषण के पूर्व-मौजूदा अधिकार के अधीन थे और इसलिए, हरिनारायणजी भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 30 को देखते हुए, वसीयत को निष्पादित करके एचयूएफ संपत्तियों में जो भी अधिकार, शीर्षक या हित था, उससे अधिक वसीयत नहीं कर सकते थे।इसलिए, वादी दौलजी ने भोनरी देवी की सीमित संपत्ति के अधीन एक वसीयतदार या सह-भागीदार के रूप में मुकदमा संपत्ति भी प्राप्त की थी, जिनके मुकदमे की संपत्ति से रखरखाव के पहले से मौजूद अधिकार ने 1956 के अधिनियम की धारा 14 (1) के लागू होने के बाद उन्हें पूर्ण मालिक बना दिया था।

विश्लेषणः

8. यद्यपि विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान और उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के दौरान पक्षों द्वारा कई मुद्दे उठाए गए थे, अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन ने इस अदालत के समक्ष इस बात पर विवाद नहीं किया है कि भोंरी देवी को अपने पति के संयुक्त परिवार की संपत्ति से भरण-पोषण का अधिकार था।उन्होंने इस बात पर भी विवाद नहीं किया है कि भोनरी देवी उस समय से सूट हाउस में रह रही थीं जब हरिनारायणजी जीवित थे, यानी आईडी1 से पहले, और हरिनारायणजी की मृत्यु के बाद, भोनरी देवी उक्त घर में रहती रहीं और उन किरायेदारों से किराया ले रही थीं जो सूट परिसर के हिस्से पर कब्जा कर रहे थे।हालाँकि, श्री पुनीत जैन ने केवल सूट संपत्ति से भरण-पोषण के लिए भोनरी देवी के अधिकार पर गंभीर रूप से विवाद किया है।उसने अधिनियम की धारा 14 (1) में विचार के अनुसार, एक पूर्ण मालिक होने के लिए उसके रखरखाव के बदले में सूट संपत्ति प्राप्त करने के उसके दावे पर विवाद किया है। उनके अनुसार, संपत्ति के खिलाफ ब्याज के अवशेष को संपत्ति के अवशेष के समान नहीं कहा जा सकता है।मुक़दमे की संपत्ति में उसके रखरखाव के अधिकार को मान्यता देने वाले किसी दस्तावेज़ के निर्माण या निष्पादन के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता था कि मुक़दमे की संपत्ति में उसका पहले से स्वामित्व था या सीमित स्वामित्व था।

जी.

9. इसी तरह, संबंधित प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शीशोदिया ने भी वादी दौलजी के अपने पति के संयुक्त परिवार के लिए अजनबी होने और श्री बक्शजी द्वारा

उसे गोद लेने के संबंध में मुकदमे में भोनरी देवी द्वारा उठाए गए तर्कों को लागू करने पर जोर नहीं दिया है।उन्होंने ए मुद्दे को भी सेवा में नहीं लगाया है।

एच.

889

मुनि देवी एलियास नाथी देवी (मृत) टीएचआर LRS.v।राजेन्द्र एलियास लल्लू लाल (मृत) थर्स विधिक उत्तराधिकारी एस. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

दौलतजी के पक्ष में हरिनारायणजी द्वारा निष्पादित वसीयत के संबंध में।हालांकि, श्री शीशोदिया ने आग्रह किया कि हरिनारायणजी के सभी अधिकार, अधिकार या हित भोंरी देवी के रखरखाव के पहले से मौजूद अधिकार के अधीन थे, और वह वसीयत के माध्यम से दौलजी को वसीयत के रूप में नहीं दे सकते थे, इससे अधिक कि सूट संपत्ति में उनका जो भी अधिकार या हित था।मान लीजिए, भोनरी देवी के पास सूट की संपत्ति थी और वह सूट की संपत्ति के हिस्से पर कब्जा करने वाले किरायेदारों से किराया ले रही थी।इसलिए, श्री शीशोदिया के अनुसार, रखरखाव के अपने पहले से मौजूद अधिकार के बदले में सूट संपत्ति का उनका निपटाया हुआ कब्जा, उन्हें 1956 के अधिनियम की धारा 14 (1) को देखते हुए सूट संपत्ति का पूर्ण मालिक बनने का हकदार बनाता है।

10. इसलिए मुख्य मुद्दा यह है कि क्या वर्तमान प्रत्यर्थीगणओं की पूर्ववर्ती भोंरी देवी 1956 के अधिनियम के लागू होने पर एक पूर्ण स्वामी बन गई थीं, इसकी धारा 14 की व्याख्या के इर्द-गिर्द घूमती है।यह नीचे लिखा हैः

“14. एक महिला हिंदू की संपत्ति उसकी पूर्ण संपत्ति होनी चाहिए।— (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में अधिग्रहित किसी भी हिंदू महिला के स्वामित्व वाली संपत्ति, उसके पूर्ण मालिक के रूप में उसके पास होगी, न कि सीमित मालिक के रूप में।

स्पष्टीकरण।—इस उप-धारा में, "संपत्ति" में किसी हिंदू महिला द्वारा विरासत या योजना द्वारा, या किसी विभाजन पर, या रखरखाव या रखरखाव के बकाया के बदले में, या किसी व्यक्ति से उपहार द्वारा अर्जित चल और अचल संपत्ति, चाहे वह रिश्तेदार हो या नहीं, उसके विवाह से पहले, उसके समय या बाद में, या उसके अपने कौशल या परिश्रम से, या खरीद या पर्चे द्वारा, या किसी अन्य तरीके से, और इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले उसके द्वारा स्त्रीधन के रूप में धारित ऐसी कोई संपत्ति भी शामिल है।

(2) उप-धारा (1) में निहित कुछ भी उपहार के रूप में या वसीयत या किसी अन्य साधन के तहत या किसी दीवानी अदालत की डिक्री या आदेश के तहत या किसी ऐसे पुरस्कार के तहत अर्जित किसी भी संपत्ति पर लागू नहीं होगा, जहां उपहार, वसीयत या अन्य साधन या डिक्री, आदेश या पुरस्कार की शर्तें ऐसी संपत्ति में प्रतिबंधित संपत्ति निर्धारित करती हैं।"

जी.

11. स्पष्टीकरण के साथ धारा 14 (1) के सादे पठन से यह पता चलता है कि धारा 14 (1) के आधार पर किसी संपत्ति की पूर्ण स्वामी बनने के लिए न कि सीमित स्वामी बनने के लिए, एक महिला

एच.

हिंदू, 1956 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में, संपत्ति के कब्जे में होना चाहिए, और यह उसके द्वारा विरासत या योजना, या एक विभाजन पर, या रखरखाव के बदले में, या रखरखाव के बकाया या किसी भी व्यक्ति से उपहार द्वारा अर्जित किया गया होना चाहिए, चाहे वह कोई रिश्तेदार हो या नहीं, उसके विवाह से पहले, उसके बाद या उसके अपने कौशल या परिश्रम से या खरीद या पर्चे द्वारा, या किसी अन्य तरीके से, या ऐसी कोई भी संपत्ति अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले उसके द्वारा स्त्रीधन के रूप में रखी गई होनी चाहिए।

12. तत्काल मामले में, हम भोनरी देवी के मुकदमे की संपत्ति के संबंध में पूर्ण मालिक बनने के दावे से इस आधार पर चिंतित हैं कि वह अधिनियम के प्रारंभ से पहले और बाद में मुकदमे की संपत्ति के कानूनी कब्जे में थी, उसके रखरखाव के पहले से मौजूद अधिकार के बदले में, और ऐसा सीमित स्वामित्व अधिकार धारा 14 (1) के आधार पर पूर्ण स्वामित्व में फलीभूत हो गया था।उच्च न्यायालय ने संपत्ति पर हिंदू विधवा के अधिकार के बारे में चर्चा करते हुए कहा है कि हिंदू महिला संपत्ति का अधिकार अधिनियम, 1937 वर्ष 1937 में लागू था जब भोनरी देवी के ससुर गणेशनारायणजी की 1938 में मृत्यु हो गई थी और 1937 के उक्त अधिनियम से पहले भी हिंदू विधवा के अधिकार को क्षेत्र में प्रचलित पुराने शास्त्री रीति-रिवाजों के अनुसार मान्यता दी गई थी।हमारी राय में, हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 ने हिंदू विधवा को अपने पति की संपत्ति का अधिकार प्रदान किया,

जिसकी मृत्यु 1937 के उक्त अधिनियम के प्रारंभ के बाद हुई थी, न कि उससे पहले।भोनरी देवी के पति धनलालजी की 1936 में मृत्यु हो जाने के बाद, 1937 का उक्त अधिनियम मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।हालाँकि, 1937 के उक्त अधिनियम से पहले, हिंदू विधवा के भरण-पोषण के अधिकार को शास्त्री कानून में मान्यता दी गई थी।इस अदालत ने V.Tulasamma और अन्य बनाम शेषा रेड्डी (मृत) (उपरोक्त) के मामले में 1956 के उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों पर विचार करते हुए एक हिंदू महिला के भरण-पोषण के पहले से मौजूद अधिकार पर विस्तार से विचार किया है।न्यायमूर्ति फजल अली, जैसा कि वे तब थे, इस विषय पर अधिकारियों को उद्धृत करने और एक हिंदू पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार की प्रकृति और सीमा को स्पष्ट करने के बाद, पैरा 62 में स्थिति का सारांश इस प्रकार दियाः-

“62. अब हम उन कानूनी निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहेंगे जिन पर हम 1956 के अधिनियम की धारा 14 (1) और (2) की व्याख्या के रूप में इस अपील में शामिल कानून के प्रश्न पर ऊपर उल्लिखित अधिकारियों के विस्तृत विचार के बाद पहुंचे हैं।इन निष्कर्षों को इस प्रकार कहा जा सकता हैः

जी.

एच.

891

मुनि देवी एलियास नाथी देवी (मृत) टीएचआर LRS.v।राजेंद्र एल. एल. ए. एस. लल्लू लाल (मृत) विधिक उत्तराधिकारी एस. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

ए.

“(1) हिंदू महिला के भरण-पोषण का अधिकार एक खाली औपचारिकता या एक भ्रामक दावा नहीं है जिसे अनुग्रह और उदारता के मामले के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, बल्कि संपत्ति के खिलाफ एक ठोस अधिकार है जो पति और पत्नी के बीच आध्यात्मिक संबंध से बहता है और जिसे शुद्ध शास्त्रीय हिंदू कानून द्वारा मान्यता और आदेश दिया गया है और यज्ञवल्क्य से लेकर मनु तक के पूर्व हिंदू न्यायविदों द्वारा भी इस पर दृढ़ता से जोर दिया गया है।ऐसा अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं हो सकता है, लेकिन यह संपत्ति के खिलाफ अधिकार है और पति का अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने का व्यक्तिगत दायित्व है और यदि उसके या परिवार के पास संपत्ति है, तो महिला को उससे बनाए रखने का कानूनी अधिकार है।यदि किसी महिला के रखरखाव के लिए आरोप लगाया जाता है, तो उक्त

अधिकार कानूनी रूप से लागू करने योग्य हो जाता है।किसी भी दर पर, बिना किसी शुल्क के भी रखरखाव का दावा निस्संदेह एक पहले से मौजूद अधिकार है ताकि इस तरह के अधिकार की घोषणा या मान्यता देने वाला कोई भी हस्तांतरण कोई नया शीर्षक प्रदान नहीं करता है, बल्कि केवल पहले से मौजूद अधिकारों का समर्थन या पुष्टि करता है।

(2) धारा 14 (1) और उसके स्पष्टीकरण को व्यापक संभव शब्दों में जोड़ा गया है और इसका उदारतापूर्वक महिलाओं के पक्ष में अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि 1956 के अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके और इस लंबे समय से आवश्यक कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को बढ़ावा दिया जा सके।

(3) धारा 14 की उप-धारा (2) एक परंतुक की प्रकृति में है और इसका अपना एक क्षेत्र है जो धारा 14 (1) के संचालन में भौतिक रूप से हस्तक्षेप किए बिना है।परंतुक का इस तरह से अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि वह मुख्य प्रावधान के प्रभाव या धारा 14 (1) द्वारा दिए गए संरक्षण को नष्ट कर दे या इस तरह से कि वह मुख्य प्रावधान के साथ पूरी तरह से असंगत हो जाए।

(4) धारा 14 की उप-धारा (2) उन उपकरणों, फरमानों, पुरस्कारों, उपहारों आदि पर लागू होती है जो पहली बार महिलाओं के पक्ष में स्वतंत्र और नए खिताब बनाते हैं और इसका कोई आवेदन नहीं है जहां संबंधित दस्तावेज केवल पहले से मौजूद अधिकारों की पुष्टि, समर्थन, घोषणा या मान्यता देना चाहता है।ऐसे मामलों में एक महिला के पक्ष में एक प्रतिबंधित संपत्ति कानूनी रूप से अनुमत है और धारा 14 (1) इस क्षेत्र में काम नहीं करेगी। जहां, हालांकि, कोई साधन केवल पहले से मौजूद अधिकार की घोषणा करता है या उसे मान्यता देता है, जैसे कि रखरखाव का दावा या

विभाजन या हिस्सा जिसके लिए महिला हकदार है, उप-धारा का बिल्कुल कोई आवेदन नहीं है और महिला के सीमित हित को धारा 14 (1) के बल पर स्वचालित रूप से एक पूर्ण हित में विस्तारित किया जाएगा और दस्तावेज़ के तहत लगाए गए प्रतिबंधों, यदि कोई हों, को

नजरअंदाज करना होगा।इस प्रकार, जहां रखरखाव या विभाजन के समय हिस्से के बदले में किसी महिला को कोई संपत्ति आवंटित या हस्तांतरित की जाती है, तो लिखत को उप-धारा (2) के दायरे से बाहर कर दिया जाता है और हस्तांतरणकर्ता की शक्तियों पर किसी भी प्रतिबंध के बावजूद धारा 14 (1) द्वारा शासित किया जाएगा।

(5) धारा 14 (1) के स्पष्टीकरण में 'विभाजन के समय किसी महिला हिंदू द्वारा अर्जित संपत्ति', 'या रखरखाव के बदले में', 'या रखरखाव के बकाया' आदि जैसे व्यक्त शब्दों का उपयोग स्पष्ट रूप से उप-धारा (2) को इन श्रेणियों के लिए लागू नहीं करता है जिन्हें स्पष्ट रूप से उप-धारा (2) के संचालन से अलग किया गया है।

(6) धारा 14 (1) में विधानमंडल द्वारा उपयोग किए गए 'कब्जे में' शब्द सबसे व्यापक संभव आयाम के हैं और इसमें संपत्ति के मालिक होने की स्थिति शामिल है, भले ही मालिक उसके वास्तविक या भौतिक कब्जे में न हो।इस प्रकार, जहां किसी विधवा को 1956 के अधिनियम के पारित होने से पहले या उस समय प्रारंभिक डिक्री के तहत संपत्ति में हिस्सा मिलता है, लेकिन उसे अंतिम डिक्री के तहत वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया था, तो संपत्ति उसके कब्जे में मानी जाएगी और धारा 14 (1) के बल पर उसे संपत्ति में पूर्ण ब्याज मिलेगा। यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि विधवा का अधिकार, हालांकि, एक दावे, अधिकार या शीर्षक के कुछ अवशेष के तहत होना चाहिए, क्योंकि यह धारा किसी भी अधिकार या शीर्षक के बिना किसी भी रैंक के अतिचारक के कब्जे पर विचार नहीं करती है। (7) कि धारा 14 (2) में उपयोग किए गए 'प्रतिबंधित संपत्ति' शब्द धारा 14 (1) में बताए गए सीमित ब्याज से अधिक व्यापक हैं और उनमें न केवल सीमित ब्याज शामिल है, बल्कि किसी अन्य प्रकार की सीमा भी शामिल है जो हस्तांतरणकर्ता पर रखी जा सकती है।"

जी.

13. मामले में की गई उक्त टिप्पणियों के बाद

V.Tulasamma (ऊपर**),** रघुबर सिंह और अन्य बनाम गुलाब में यह अदालत

सिंह और अन्य **9** निम्नानुसार आयोजित किए गए:

9 (1998) 6 एससीसी 314 ए

एच.

मुनि देवी एलियास नाथी देवी (मृत) टीएचआर LRS.v।राजेंद्र एलियास लल्लू लाल (मृत) थर्स विधिक उत्तराधिकारी एस. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

“22. तुलासम्मा मामले में फैसला [(1977) 3 एस. सी. सी. 99] आज तक मैदान में है। (लाभ के साथ भी देखें -राम काली बनाम चौधरी अजीत शंकर [(1997) 9 एस. सी. सी. 613] और भूमिरेड्डी चेन्ना रेड्डी बनाम भूस्पल्ली पेड्डा वेरप्पा [(1997) 10 एस. सी. सी. 673]।

23. इस प्रकार, हम पाते हैं कि इस प्रस्ताव के लिए पर्याप्त अधिकार है कि एक हिंदू महिला के भरण-पोषण का अधिकार एक पहले से मौजूद अधिकार है, जो 1937 के अधिनियम या 1946 के अधिनियम के लागू होने से बहुत पहले हिंदू कानून में मौजूद था और उन कानूनों का निर्माण नहीं है, जो केवल उस स्थिति को मान्यता देते हैं।तुलसम्मा मामले में जे. फजल अली के शब्दों में [(1977) 3 एससीसी 99]:(एस. सी. सी. पी. 135, पैरा 62)

“(1) हिंदू महिला के भरण-पोषण का अधिकार एक खाली औपचारिकता या एक भ्रामक दावा नहीं है जिसे अनुग्रह और उदारता के मामले के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, बल्कि संपत्ति के खिलाफ एक ठोस अधिकार है जो पति और पत्नी के बीच आध्यात्मिक संबंध से बहता है और जिसे शुद्ध शास्त्रीय हिंदू कानून द्वारा मान्यता और आदेश दिया गया है और यज्ञवल्क्य से लेकर मनु तक के पूर्व हिंदू न्यायविदों द्वारा भी इस पर दृढ़ता से जोर दिया गया है।ऐसा अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं हो सकता है, लेकिन यह संपत्ति के खिलाफ अधिकार है और पति का अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने का व्यक्तिगत दायित्व है और यदि उसके या परिवार के पास संपत्ति है, तो महिला को उससे बनाए रखने का कानूनी अधिकार है।यदि किसी महिला के रखरखाव के लिए आरोप लगाया जाता है, तो उक्त अधिकार कानूनी रूप से लागू करने योग्य हो जाता है।किसी भी दर पर, बिना किसी शुल्क के भी रखरखाव का दावा निस्संदेह एक पहले से मौजूद अधिकार है ताकि इस तरह के अधिकार की घोषणा या मान्यता देने वाला कोई भी हस्तांतरण कोई नया शीर्षक प्रदान नहीं करता है, बल्कि केवल पहले से मौजूद अधिकारों का समर्थन या पुष्टि करता है।”

24. तदनुसार, हम मानते हैं कि एक हिंदू महिला के भरण-पोषण का अधिकार पति और पत्नी के बीच सामाजिक और लौकिक संबंध से प्रवाहित होता है और एक विधवा के मामले में यह अधिकार "पहले से मौजूद अधिकार" है, जो 1937 या 1946 के अधिनियमों के पारित होने से बहुत पहले शास्त्रीय हिंदू कानून के तहत मौजूद था।उन अधिनियमों ने केवल उस

स्थिति को मान्यता दी जो शास्त्रीय हिंदू कानून के तहत मौजूद थी और इसे एक "वैधानिक" समर्थन दिया।जहाँ एक हिंदू विधवा के पास अपने पति की संपत्ति है, वहाँ उसे होने का अधिकार है

जी.

एच.

894 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 3 एस. सी. आर.

इससे बाहर रखा जाता है और वह अपने रखरखाव के अधिकार के बदले उस संपत्ति का कब्जा बनाए रखने की हकदार है।

25. तुलासम्मा मामले [(1977) 3 एस. सी. सी. 99] में 1956 के अधिनियम की धारा 14 (1) में विधायिका द्वारा उपयोग की गई "कब्जे में" अभिव्यक्ति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इस न्यायालय ने निर्णय दियाः(एस. सी. सी. पी. 136, पैरा 62)

“(6) धारा 14 (1) में विधायिका द्वारा उपयोग किए गए 'कब्जे में' शब्द सबसे व्यापक संभव आयाम के हैं और इसमें संपत्ति के मालिक होने की स्थिति शामिल है, भले ही मालिक उसके वास्तविक या भौतिक कब्जे में न हो।इस प्रकार, जहां किसी विधवा को 1956 के अधिनियम के पारित होने से पहले या उस समय प्रारंभिक डिक्री के तहत संपत्ति में हिस्सा मिलता है, लेकिन उसे अंतिम डिक्री के तहत वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया था, तो संपत्ति उसके कब्जे में मानी जाएगी और धारा 14 (1) के बल पर उसे संपत्ति में पूर्ण ब्याज मिलेगा। यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि विधवा का अधिकार, हालांकि, एक दावे, अधिकार या शीर्षक के कुछ अवशेष के तहत होना चाहिए, क्योंकि यह धारा किसी भी अधिकार या शीर्षक के बिना किसी भी रैंक के अतिचारक के कब्जे पर विचार नहीं करती है।”26. यह अधिनियम की धारा 14 (1) के बल पर है कि दस्तावेज़ या लिखत के तहत किसी भी प्रतिबंध के बावजूद विधवा का सीमित हित स्वचालित रूप से एक पूर्ण अधिकार में विस्तारित हो जाता है।जहाँ तक धारा 14 की उप-धारा (2) का संबंध है, यह उन उपकरणों, फरमानों, पुरस्कारों, उपहारों आदि पर लागू होता है, जो पहली बार महिला के पक्ष में एक स्वतंत्र या नई उपाधि बनाते हैं।इसका उन मामलों में कोई अनुप्रयोग नहीं है जहां दस्तावेज़ या तो संपत्ति में उसके हिस्से या उस संपत्ति से उसके "रखरखाव के पूर्व-मौजूदा अधिकार" की घोषणा करता है या मान्यता देता है या पुष्टि करता है।जैसा कि तुलासम्मा मामले [(1977) 3 एस. सी. सी. 99] में धारा 14 की उप-धारा (2) एक परंतुक की प्रकृति में है और अधिनियम की धारा 14 (1) के संचालन में हस्तक्षेप किए बिना इसका अपना एक क्षेत्र है।

जी.

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एक हिंदू महिला का भरण-पोषण का अधिकार एक खाली औपचारिकता या एक भ्रामक दावा नहीं था जिसे अनुग्रह और उदारता के मामले के रूप में स्वीकार किया जा रहा था।यह संपत्ति के खिलाफ एक ठोस अधिकार है, जो ए से बहती है।

एच.

895

मुनि देवी एलियास नाथी देवी (मृत) टीएचआर LRS.v।राजेन्द्र एलियास लल्लू लाल (मृत) थर्स विधिक उत्तराधिकारी एस. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

पति और पत्नी के बीच आध्यात्मिक संबंध।उक्त अधिकार को विशुद्ध शास्त्रीय हिंदू कानून द्वारा मान्यता दी गई थी और आदेश दिया गया था, जो 1937 या 1946 के अधिनियमों के पारित होने से पहले भी मौजूद था।उन अधिनियमों ने केवल उस स्थिति को मान्यता देते हुए वैधानिक समर्थन दिया जो शास्त्री हिंदू कानून के तहत मौजूद थी। जहाँ एक हिंदू विधवा के पास अपने पति या पति के एच. यू. एफ. की संपत्ति है, उसे उक्त संपत्ति से बाहर रखे जाने का अधिकार है।वह अपने रखरखाव के अधिकार के बदले उस संपत्ति का कब्जा बनाए रखने की हकदार है।धारा 14 (1) और उसके स्पष्टीकरण में महिलाओं के पक्ष में उदार निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य उक्त विधान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाना और बढ़ावा देना है।जैसा कि वी. तुलासम्मा (ऊपर) मामले में समझाया गया है, धारा 14 (1) में उपयोग किए गए शब्द "कब्जे में" सबसे व्यापक संभव आयाम के हैं और इसमें संपत्ति के मालिक होने की स्थिति शामिल है, भले ही हिंदू महिला वास्तविक या भौतिक कब्जे में न हो।निस्सन्देह, यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि विधवा का अधिकार, किसी दावे, अधिकार या शीर्षक के कुछ अवशेष के तहत होना चाहिए, क्योंकि यह धारा किसी भी अधिकार या शीर्षक के बिना किसी भी रैंक के अतिचारक के कब्जे पर विचार नहीं करती है।

15. तत्काल मामले में निर्विवाद तथ्य यह हैं कि भोनरी देवी के पति धनलालजी की मृत्यु 1936 में हुई थी, भोनरी देवी के ससुर गणेशनारायणजी की मृत्यु 1938 में हुई थी और

गणेशनारायणजी के भाई हरिनारायणजी की मृत्यु 11.11.1953 पर हुई थी।श्री बक्शजी ने वर्ष 1916 में दौलजी को गोद लिया था।हरिनारायणजी, गणेशनारायणजी और श्री बक्शजी के समान पूर्वज गोपालजी थे।यह भी विवादित नहीं है कि सूट संपत्ति हरिनारायणजी और गणेशनारायणजी के हाथों में एक पैतृक संपत्ति थी।यह भी विवादित नहीं है कि भोनरी देवी हरिनारायणजी की मृत्यु से पहले सूट संपत्ति में रह रही थीं, और उनकी मृत्यु के बाद वह उक्त संपत्ति की प्रभारी थीं, और उन किरायेदारों से किराया वसूल कर खुद का रखरखाव कर रही थीं जो सूट संपत्ति के हिस्से पर कब्जा कर रहे थे।

16. अब अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि 1955 से 1965 की अवधि के दौरान सूट संपत्ति के हिस्से के संबंध में निष्पादित किराए के नोट (ए-2 से ए-11 तक), भोंरी देवी के नाम पर निष्पादित किए गए थे।मुकदमे में संबंधित प्रतिवादियों ने भी अपने लिखित बयान दायर किए थे, जिसमें कहा गया था कि वे केवल भोंरी देवी को किराया दे रहे थे।दस्तावेज़ (प्रदर्शनी ए-13) से आगे यह पता चलता है कि दौलजी ने मुक़दमे की संपत्ति के संबंध में भोनरी देवी द्वारा हाउस टैक्स का भुगतान करने और जयपुर के नगर आयुक्त के खिलाफ आपत्ति जताई थी।

28.03.1957 दिनांकित आदेश में देखा गया था कि भोंरी देवी अतीत में भी कर का भुगतान कर रही थीं।उक्त आदेश के खिलाफ एक अपील दौलजी द्वारा नगर परिषद, जयपुर के प्रशासक के समक्ष दायर की गई थी, हालांकि इसे दिनांक 28.01.1959 के आदेश के माध्यम से भी खारिज कर दिया गया था।इसमें यह देखा गया कि "इस मामले में स्वामित्व को लेकर विवाद है।नगर निगम आयुक्त, जो अपने दिनांक 28.03.1957 के फैसले में उलटने वाले अधिकारी हैं, ने कहा कि भोनरी देवी, जो अतीत में नगर पालिका को कर का भुगतान कर रही थीं, को कर का भुगतान करना चाहिए और स्वामित्व के सवाल के लिए संबंधित पक्ष को दीवानी अदालतों में समाधान की मांग करनी चाहिए।”

17. उक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि भोंरी देवी 1956 से पहले आवास कर का भुगतान कर रही थीं और 1956 से पहले और बाद में किरायेदारों से किराया वसूल कर रही थीं।दस्तावेज़ प्रदर्शनी-54 से यह पता चलता है कि 1940 में भोनरी देवी, जब वह अपने ससुराल वालों के साथ रह रही थीं, उनके पास भरण-पोषण का कोई स्रोत नहीं था, और इसलिए उन्हें रु। सरकार के पुण्य विभाग द्वारा रखरखाव के माध्यम से 2.5 प्रति माह।वह एक पारदानशीन महिला होने का दावा करती है और उसने दौलतजी को रखरखाव की उक्त राशि एकत्र करने के लिए अधिकृत किया था।उक्त दस्तावेज़ से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भोंरी देवी 1940 से सूट हाउस में रह रही थीं।जो भी हो, यह अच्छी तरह से साबित था कि 1953 में हरिनारायणजी की मृत्यु से पहले और बाद में भोनरी देवी के पास सूट हाउस था और उसके बाद भी वह कब्जे में थी और 1955 से वादी दौलजी द्वारा 1965 में मुकदमा दायर करने की तारीख तक मुकदमे के परिसर के एक हिस्से पर कब्जा करने वाले किरायेदारों से किराया वसूल रही थी।

18. पूर्व-वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों ने स्पष्ट रूप से साबित किया कि भोंरी देवी ने 1956 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले मुकदमे की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था, जिसे उन्होंने रखरखाव के अपने पहले से मौजूद अधिकार के बदले में अर्जित किया था, जो उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 14 (1) के आधार पर मुकदमे की संपत्ति का पूर्ण मालिक बनने का अधिकार देता है। 1953 में हरिनारायणजी की मृत्यु के बाद, अर्थात 1956 में उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले, मुक़दमे की संपत्ति पर उनका अनन्य अधिकार न केवल विवादित था, बल्कि वादी दौलजी द्वारा वाद में ही स्वीकार किया गया था।अपने पति की एच. यू. एफ. की संपत्ति से रखरखाव का उनका पहले से मौजूद अधिकार भी अच्छी तरह से साबित था।अपीलार्थीगण के लिए श्री जैन का यह निवेदन कि केवल रखरखाव का अधिकार संपत्ति पर कोई आरोप नहीं लगाएगा और हिंदू महिलाओं के रखरखाव के अधिकार को मान्यता देने वाला कानूनी आरोप बनाने के लिए किसी दस्तावेज़, उपकरण या समझौते के आवश्यक निष्पादन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।उनका प्री-ए

जी.

एच.

897

मुनि देवी एलियास नाथी देवी (मृत) टीएचआर LRS.v।राजेंद्र एलियास लल्लू लाल (मृत) थर्स विधिक उत्तराधिकारी एस. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

रखरखाव का मौजूदा अधिकार, संपत्ति के उसके स्थायी कानूनी कब्जे के साथ, यह धारणा बनाने के लिए पर्याप्त होगा कि संपत्ति में उसका अधिकार या दावा निहित था, हालांकि कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया था या संपत्ति में रखरखाव के उसके अधिकार को मान्यता देते हुए उसके पक्ष में कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया था।

19. यह ध्यान दिया जा सकता है कि हरिनारायणजी द्वारा दौलतजी के पक्ष में निष्पादित वसीयत में मुक़दमे की संपत्ति का कोई उल्लेख नहीं था।वसीयत में जो कहा गया था वह यह था कि हरिनारायणजी की जो भी चल और अचल संपत्ति होगी, उसे दौलजी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।केवल उक्त वसीयत के संबंध में दौलजी द्वारा दायर परिवीक्षाधीन कार्यवाही में, उन्होंने अनुसूची में मुकदमे की संपत्ति दिखाई थी।यह सच है कि दौलल्जी के पक्ष में प्रोबेट देने के खिलाफ भोनरी देवी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को प्रोबेट कोर्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, और भोनरी देवी के पक्ष में हरिनारायणजी द्वारा निष्पादित कथित वसीयत को भी उन्होंने उक्त कार्यवाही में साबित नहीं किया था।फिर भी, अपने पति की एच. यू. एफ. की संपत्ति से भरण-पोषण के अपने पहले से मौजूद अधिकार को देखते हुए और 1956 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले और बाद में मुकदमे की संपत्ति के अपने अनन्य निपटारे वाले कब्जे को देखते हुए, एकमात्र निष्कर्ष जो निकाला जा सकता था, वह यह होगा कि भोंरी देवी ने रखरखाव के अपने पहले से मौजूद अधिकार के बदले में मुकदमे की संपत्ति का अधिग्रहण किया था, और यह कि उन्होंने 1956 के उक्त अधिनियम की धारा 14 (1) के आधार पर मुकदमे की संपत्ति को पूर्ण मालिक के रूप में रखा था, न कि सीमित मालिक के रूप में।

20. जैसा कि पहले कहा गया है, हिंदू महिला का भरण-पोषण का अधिकार उस संपत्ति के खिलाफ एक ठोस अधिकार है जो पति और पत्नी के बीच आध्यात्मिक संबंध से बहती है।इस तरह के अधिकार को 1937 और 1946 के अधिनियमों के पारित होने से बहुत पहले, शास्त्रीय हिंदू कानून के तहत मान्यता दी गई थी और आदेश दिया गया था।जहां एक हिंदू विधवा को एच. यू. एफ. संपत्ति के अनन्य स्थापित कानूनी कब्जे में पाया जाता है, वह स्वयं एक धारणा पैदा करेगा कि ऐसी संपत्ति उसके रखरखाव के पहले से मौजूद अधिकार की प्राप्ति के लिए निर्धारित की गई थी, विशेष रूप से जब जीवित सह-भागीदार ने रखरखाव के अपने पहले से मौजूद अधिकार को मान्यता देने के लिए कोई वैकल्पिक संपत्ति निर्धारित नहीं की थी।धारा 14 (1) में प्रयुक्त "कब्जे में" और "अर्जित" शब्द व्यापक आयाम के हैं और इसमें संपत्ति के मालिक होने की स्थिति शामिल है।यह 1956 के अधिनियम की धारा 14 (1) के आधार पर है कि हिंदू विधवा का सीमित हित स्वचालित रूप से एक पूर्ण अधिकार में

विस्तारित हो जाता है, जब ऐसी संपत्ति उसके पास होती है, चाहे वह 1956 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में उसके भरण-पोषण के अधिकार के बदले में अर्जित की गई हो।

21. मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया था कि भोंरी देवी को सूट संपत्ति में रखरखाव का पहले से अधिकार था जो 1956 के अधिनियम की धारा 14 (1) के आधार पर पूर्ण स्वामित्व में आ गया था।

22. वर्तमान अपील योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दी जाती है।

निधि जैन

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)